

मजबूत लोकतन्त्र- सबकी भागीदारी  
जिला निर्वाचन कार्यालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

संख्या: 5-ध0श0-(ई0एल0एन0) 2/2019-III- दिनांक: धर्मशाला-176215 २० अगस्त, 2019  
प्रेषक: १९९१७- १९९१९

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),  
कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि.प्र.)।

1. उप-निदेशक, उच्च शिक्षा, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
- ✓ 2. उप-निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
3. अन्य विभागाध्यक्ष (जहां मतदान केन्द्र स्थापित है)  
(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से)।

विषय:-


मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ई.वी.पी) का शुभारंभ बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मृतकों के नाम मतदाता सूची से न हटाने व अन्य विसंगतियों की शिकायतों के दृष्टिगत, दिनांक 1 सितम्बर, 2019 (रविवार) से मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ई.वी.पी) का शुभारंभ हो रहा है। इस दिन समस्त बूथ लेवल अधिकारी, बूथ लेवल ऐन्ट व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे व मतदाता सूची की जांच करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 1 सितम्बर, 2019 (रविवार) को उपरोक्त कार्यक्रम के दृष्टिगत आपके अधीनस्थ भवन जिनमें मतदान केन्द्र स्थापित है उन्हें खुला रखें व बैठक के आयोजन हेतु जरुरी प्रबन्ध करें।

भवदीय,

(1)   
जिला निर्वाचन अधिकारी, (उपायुक्त)  
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

पृष्ठांकन संख्या: शिक्षा-कांगड़ा-(ए-3)- 2018/19 दिनांक: 30/08/2019 — U968  
प्रतिलिपि :- मूल रूप से समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवम बी.आर.सी.सी. प्राइमरी/अप्पर प्राइमरी को सूचनार्थ एवम आगामी आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

*Balwinder Singh* 20/08/19  
उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा  
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

मजबूत लोकतन्त्र- सबकी भागीदारी  
जिला निर्वाचन कार्यालय, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

संख्या: 5-ध0श0-(ई0एल0एन0) 2/2019-III - दिनांक: धर्मशाला-176215 30 अगस्त, 2019  
19899 - 19900

प्रेषक:

जिला निर्वाचन अधिकारी(उपायुक्त),  
कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि.प्र.)।

सेवा में,

1. उप-निदेशक, उच्च शिक्षा, कांगड़ा स्थित धर्मशाला।
2. उप-निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

विषय:-

मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ई.वी.पी)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मृतकों के नाम मतदाता सूची से न हटाने व अन्य विसंगतियों की शिकायतों के दृष्टिगत, दिनांक 1 सितम्बर, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक समस्त जिले में मतदाता सत्यापन कार्यक्रम (ई.वी.पी) करवाना सुनिश्चित किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई भी नागरिक भारतीय पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / आधार / राशन कार्ड / सरकारी/अर्धसरकारी पहचान पत्र / बैंक पासबुक / किसान पहचान पत्र की प्रति सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(एस.डी.एम) कार्यालय में जमा करवा कर मतदाता सूची में विद्यमान विसंगतियों को ठीक करवा सकता है। इस कार्यक्रम के दौरान नागरिक स्वयं भी मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल एप / एन.वी.एस.पी पोर्टल / लोक मित्र केन्द्र पर जाकर अपने विवरण को सत्यापित कर सकता है और यदि विद्यमान मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो उसे भी अंकित कर सकता है। इसके अतिरिक्त बूथ लेवल मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो उसे भी अंकित कर सकता है। इसके अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारी 1 सितंबर, 2019 से 30 सितंबर, 2019 तक घर-घर जा कर मतदाता सूची का शैत्र प्रतिशत सत्यापन करेंगे व मतदाताओं से सम्बन्धित अन्य जानकारी एकत्रित करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम का प्रचार प्रसार अपने अधीनस्थ कार्यरक्त अधिकारियों व कर्मचारियों में करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु इस कार्यक्रम का प्रचार पाठशालाओं में उपस्थित विद्यार्थियों के माध्यम से उनके अभिभावकों तक किया जाना भी सुनिश्चित करें ताकि जिला कांगड़ा के समस्त नागरिक मतदाता सूची में विद्यमान अपना विवरण जैसे फोटो, पता व जन्म तिथि आदि कि जांच करनें के उपरान्त यदि विसंगति है तो उसे ठीक करवाकर मतदाता सूची को शुद्ध व त्रुटिरहित बनाने में अपना योगदान दें।

इसके अतिरिक्त आपसे निवेदन है कि सम्बन्धित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों का मोबाइल नम्बर जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों को उपलब्ध करवा दिया जायेगा, को भी स्कूल के छात्र, छात्राओं में इस निर्देश के साथ वितरित

किया जाए कि यदि किसी को भी उक्त कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उक्त मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क स्थापित करें।

भवदीय,

जिला निर्वाचन अधिकारी, (उपायुक्त)  
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

पृष्ठांकन संख्या :- 5-ध.शा.(ई.एल.एन.)-2/2019- III - 19901 - 19916      30 अगस्त, 2019  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, शिमला को सूचनार्थी।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उप-मण्डलाधिकारी(ना०)जिला कांगड़ा को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपसे अनुरोध है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के प्रधानाचार्यों सम्बन्धित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों का मोबाइल नम्बर शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाये जाये।
3. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त जानकारी को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार के रूप में प्राकशित करने की कृपा करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी( उपायुक्त)  
कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि.प्र.)।

पृष्ठांकन संख्या: शिक्षा-कांगड़ा-(ई-7)- 2018/19    दिनांक: 30/08/2019 — ५९६७

प्रतिलिपि :- मूल रूप से समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवम बी.आर.सी.सी. प्राइमरी/अप्पर प्राइमरी को सूचनार्थ एवम आगामी आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा  
कांगड़ा स्थित धर्मशाला